हरिभूमि

वनांचल भूमि - Page 2

Date 8 July 2025

कोंडागांव जिला न्यायालय परिसर में 'मध्यस्थता राष्ट्र के लिए' अभियान पर हुआ मंथन

मध्यस्थता से मिलेगा त्वरित न्याय, न्यायपालिका पर कम होगा बोझ

हरिभूमि न्यूज ⏭ कोण्डागांव

नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देशभर में चलाए जा रहे मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान के अंतर्गत 4 जुलाई को जिला न्यायालय परिसर कोंडागांव में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव की अध्यक्ष श्रीमती किरण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चन्द्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेशमा वैरागी पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिव प्रकाश त्रिपाठी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती गायत्री साय, मीडिएटर अधिवक्ता एवं अधिकार मित्रगण उपस्थित रहे।

- न्यायपालिका को सशक्त बनाने की दिशा में अहम पहल

अभियान का उद्देश्य

बैठक का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का मध्यस्थता के जरिए सौहार्दपूर्ण एवं शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना था। मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान के तहत आगामी 90 दिनों में देश के समस्त तालुका, जिला एवं उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को सुलझाने का लक्ष्य रखा गया है।

न्याय मिलने की प्रक्रिया तेज : किरण

न्यायाधीश श्रीमती चतुर्वेदी ने कहा कि यह अभियान न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करने के साथ–साथ पक्षकारों को न्याय मिलने की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाता है। उन्होंने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे मध्यस्थता के लिए उपयुक्त मामलों की पहचान कर न्यायालय को सूचित करें, जिससे आपसी सहमति से विवाद निपटारा संभव हो सके।

मध्यस्थता को लेकर अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया

अधिवक्ताओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि मध्यस्थता से विवादों का समाधान न केवल शीघ्र होता है, बल्कि इससे पक्षकारों का समय, श्रम और धन भी बचता है।

महत्वपूर्ण निर्णय और निर्देश

उपयुक्त मामलों को प्राथमिकता से मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित किया जाएगा। पक्षकारों को मध्यस्थता प्रक्रिया, इसके लाभ और प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाएगा। अधिकार मित्रें को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र में शिविर आयोजित कर मध्यस्थता का प्रचार–प्रसार करें, ताकि जनसामान्य को अधिकतम लाभ मिल सके। यह बैठक न्याय व्यवस्था में सुधार और जनता को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। नालसा की यह पहल न्यायिक बोझ को कम करने के साथ–साथ सुलह व समझौते की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करती है।